67

संख्या– 330 /XLI-I/2013–75–प्रशि0/2005टी0सी0–I

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग । देहरादून दिनांक 3 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2013

विषयः– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखडा(पौड़ी गढ़वाल) को प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, एसपीआईयू, गढ़ीकैन्ट, देहरादून के पत्र संख्या–2696/एसपीआईयू/भवन/2013, दिनाक 23 जनवरी 2013, पत्र संख्या–2819/ एसपीआईयू /भवन आंगणन/2011, दिनाक 05 मार्च 2013, पत्र संख्याः 2463/एसपीआईयू/भवन/2012, दिनाक 03 जनवरी 2013 एवं शासनादेश संख्याः224/XLI-I/75–प्रशि0/2005टी0सी0, दिनाक 09–10–2012 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक सहायतित वी0टी0 आई0पी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखडा (पौड़ी गढ़वाल) के भवन निर्माण हेतु नीचे दी गयी तालिका के अनुसार सम्मुख कॉलम–6 में अंकित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति अग्रेत्तर इंगित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	प्रशिक्षण संस्था का नाम	निर्माण इकाई का नाम	शासनादेश के माध्यम से पूर्व निर्गत धनराशि (ला0रू0में)	निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत आंगणन की धनराशि (ला0रू0में)	टी0ए0सी0 परीक्षणोपरान्त संस्तुत, आंगणन धनराशि (ला0रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	रा0औ0प्र0संस्थान पोखडा	उ0प्र0रा0निर्माण निगम लि0 पौड़ी गढ़वाल	20.00	59.76	48.78सिविल कार्य 4.16अधिपप्ति
		कुल योग–	**20.00**	**59.76**	**52.94**

(1)– उपरोक्त कार्यों हेतु शासनादेश संख्याः 224/XLI-I/75–प्रशि0/2005टी0सी0,दिनाक 09–10–2012 द्वारा वांछित धनराशि पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है। अतः संस्था के संबंध में अनुमोदित विकास योजना (Institute Development Paln) में इंगित सिविल कार्य की सीमा के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करते हुए कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या एवं अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सिविल निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि अनुमोदित योजना में इंगित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही सीमित रखा जाय।

(2)– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य/आंगणन की प्राविधिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली जाय।

(3)– निर्माण कार्य करने तथा इस हेतु सामग्री क्रय करने से पर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही लागू दर अनुसूची तथा विशिष्टियों का भी अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।

(4)– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(5)– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्तान्तरित कराया जाना अवश्यक सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)– उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

(8)– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–63P/XXVII(5)/2013–14, दिनॉक 17–10–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, एस0पी0आई0यू0, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(म) परिसर, देहरादून।
4– अनुसचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
6– वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
7– प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोखडा(पौडी गढवाल)उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनुसचिव।